

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार सेडवा, जिला बाडमेर

राजस्व मुकमदमा सं. 14/2020

प्रार्थी

सरकार जरिये पटवारी
गोहड का तला

बनाम

विप्रार्थी

श्री तगदान पुत्र अचलदान
जाति चारण नि. सैयद मौज अली का तला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

आदेश

निर्णय दिनांक 27.08.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का गोहड का तला ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि ग्राम सैयद मौज अली का तला के खसरा सं. 240/102 रकबा 0.11 बीघा किस्म गै.मु.गोचर भूमि पर अवैध रूप से काश्त/कब्जा कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी से बाद तामिल/अदम तामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी उपस्थित हुआ लेकिन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बाबत अपने पक्ष/स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये। अतः हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी को राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करने पर रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी पर अवैध कब्जा/काश्त करने पर बतौर शास्ति के वार्षिक लगान 0.05 का 50 गुणा अनुसार रूपये 01/- अक्षरे :- एक रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है भूअभिलेख निरीक्षक हल्का बीजासर को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त भूमि पर गैर सायल का नाजायज कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर मांग कायमी हेतु हल्का पटवारी गोहड का तला एवं तहसील राजस्व लेखाकार को सूचित हो पत्रावली बाद आदेश की पालना होकर दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 27.08.2020 का सरे इजलास लिखकर सुनाया गया



21/8/20
तहसीलदार, सेडवा